न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 42/2018–19

सुराय मुर्मू बनाम् रैयान मौजा–भगवानपुर नं0–10

–: आदेश :–

30.05.2025

आवेदक सुराय मुर्मू, पे0 धरमु मुर्मू, व छतराई किस्कू, पे0–स्व0 राम मुर्मू, व लखन किस्कू, पे0–पौलूस किस्कू सभी साकिन–भगवानपुर, थाना–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने मौजा–भगवानपुर नं0–10 के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।

वाद के सुनवाई के क्रम में पुनः आवेदक छोटो राय मुर्मू, पे0–स्व0 राम मुर्मू, साकिन–भगवानपुर, थाना–ललमटिया, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना कश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–भगवानपुर नं0–10 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है, जिसे पी0ए0 केस नं0–28/2024–25 के रूप में अनुमंडल न्यायालय में संधारित किया गया। वाद विचारण के क्रम में दोनो वाद एक ही मौजा से संबंधित होने के कारण दोनों वादो को संयुक्त कर एक ही साथ सुनवाई की गई। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–349/रा0, दिनांक–22.05.2023 द्वारा प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी रैयत संगराम मुर्मू प्रधान के वंशज में सिर्फ पुत्री रहने के कारण सभी की शादी होने पर अपने घर को चली गयी। तत्पश्चात् उस जमाबंदी के फरिकन राम मुर्मू, पेसर स्व0 लखन मुर्मू उक्त मौजा के ग्राम प्रधान बने, जिसकी मृत्यु के 20–25 वर्ष बीच जाने के बाद भी ग्राम प्रधान की नियुक्ति नहीं हुई और मौजा खास है। मौजा भागवानपुर थान नं0–10 का ग्राम प्रधान के पद पर चयन हेतु कुल तीन आवेदक क्रमशः सुराय मुर्मू पेसर स्व0 धर्मल मुर्म एवं लखन मुर्मू व छोटराय मुर्मू पेसर स्व0 राम मुर्मू के वंशज/वारिशान के द्वारा आवेदन दिया गया है।

पुनः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–207/रा0, दिनांक–17.02.2025 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–भगवानपुर नं0–10 एक प्रधानी मौजा है। प्रधानी भू–लगान वसूली पंजी–II में अंकित ग्राम प्रधान के रूप में राम मुर्मू, पिता–दशमत मुर्मू का नाम दर्ज है। पूर्व ग्राम प्रधान की मृत्यु के पश्चात् वर्त्तमान में ग्राम प्रधान का पद रिक्त है।

जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक सुराय मुर्मू पूर्व प्रधान संगराय मुर्मू के पौत्र है एवं आवेदक लखन किस्कू और छोटाराय मुर्मू अंतिम नियुक्त प्रधान राम मुर्मू के पुत्र है। ऐसे में धारा–6 के तहत अंतिम नियुक्त प्रधान के पुत्रों का दावा अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। पुनः पूर्व ग्राम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र लखन मुर्मू द्वारा अपने मंझले भाई छोटराम मुर्मू को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्ति के

F/Order.

संबंध में अनापत्ति का शपथ पत्र सं0–13213, दिनांक–22.04.2024 समर्पित किया है।

अतः अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजात के आधार पर संथाल परगना कश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–भगवानपुर नं0–10 का प्रधान छोटोराय मुर्मू, पे0–स्व0 राम मुर्मू, साकिन–भगवानपुर को नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना कश्तकारी(पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5/25

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

30/5/25

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.08.20 17:37:13 +05:30
Location: 10.93.203.49

F/Order.